www.cbi.gov.in

केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो
सूचना अनुभाग
5-बी, सी.जी.ओ. कॉम्पलैक्स लोधी रोड,
नई दिल्ली, 110003

प्रेस विज्ञप्ति
नई दिल्ली, 06.01.2017

सीबीआई ने घूसखोरी के मामले में रेलवे सुरक्षा बल के एक निरीक्षक व एक सिपाही को गिरफ्तार किया

सीबीआई ने घूसखोरी के मामले में नगभीड़ रेलवे स्टेशन, चन्द्रपुर पर रेलवे सुरक्षा बल में कार्यरत निरीक्षक एवं सिपाही को गिरफ्तार किया।

नगभीड़ रेलवे स्टेशन, चन्द्रपुर पर रेलवे सुरक्षा बल में कार्यरत निरीक्षक एवं सिपाही पर शिकायतकर्ता से उसके जब्त समानों को जारी करने के लिए 8000 रू. की अवैध रिश्वत की मॉंग के आरोप पर भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 7 व भारतीय दण्ड संहिता की धारा 120-बी के तहत मामला दर्ज किया। ऐसा भी आरोप था कि आरोपी व्यक्तियों ने जब्त सामग्रियों को जारी करने हेतु पूर्व में शिकायतकर्ता से 2500 रू. घूस के तौर पर ले लिया व 5500 रू. बची राशि की मॉंग की। सीबीआई ने जाल बिछाया एवं आरोपी को शिकायतकर्ता से 5500 रू. की घूस की मॉंग व स्वीकार करने के दौरान रंगे हाथ पकड़ा। दोनो आरोपियों के आवास पर तलाशी की गई जिसमें आपत्तिजनक दस्तावेज बरामद हुए

गिरफ्तार आरोपियों को विशेष न्यायाधीश, चन्द्रपुर के समक्ष आज पेश किया गया व दिनांक 09.01.2017 तक के लिए पुलिस हिरासत में भेजा गया।

****